उत्तर प्रदेश शासन

दुग्ध विकास अनुभाग-2

संख्या-6/2023/76/002-53-1099-099-563-2019-2(38)/15

लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी,2023

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83(जिला योजना-एस0सी0पी0) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 138.72 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्रदेश के 75 जनपदों के लिए दवा(डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल), मिनिरल मिक्सचर एवं पशु आहार के लिए क्रमश: 30:20:50 के अनुपात में धनराशि व्यय किये जाने हेतु रू0 69.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश-33/2022/1103/002-53-1099-099-563-2019, दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- प्रश्नगत **शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के प्रस्तर-1** में अंकित "अत: सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 69.36 लाख (रू0 उन्हत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।" **के स्थान पर** "अत: सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 69.36 लाख (रू0 उन्हत्तर लाख छत्तीस हजार मात्र) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-525/ दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-एससीपी(278)/ 22-23, दिनांक 20 जनवरी, 2023 के अनुसार 75 जनपदों के लिए 50 प्रतिशत धनराशि दुधारू पशुओं हेतु दवा(डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल) तथा 50 प्रतिशत धनराशि दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि हेतु पशुआहार एवं मिनरल मिक्सचर के लिए वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है" पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2023/76(1)/002-1099-099-563-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- प्रबन्धक निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
10- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11- सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
13- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
14- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
15- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।